तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आदेश हुक्म
8/4/2026	पत्रा. पेश। वादी द्वारा धारा 188 एवं 183 RT Act के तहत वाद पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो व बयान का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो की बहस के बाद अंतिम निर्णय निम्न प्रकार से है- तनकी ~~1,2~~- वादी द्वारा मद न 1 व 2 मे वर्णित भूमि वादी के खाते दर्ज है। इसका निर्णय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा उनवान संख्या 108 सन् 2016 में धारा 53 तहत वादी के एवं प्रतिवादी के मध्य बटवारा कर वादी के खाते खसरा $\frac{242}{88}$ एव $\frac{700}{98}$ दर्ज हुआ। प्रतिवादी का कोई अधिकार नही बनता कि वह वादी की स्वामित्व की आराजी पर कब्जा करे। प्रतिवादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी भाई-बहन है। पिता की मृत्यु के	

उपखण्ड अधिकारी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी [illegible]
	वही उस ज़मीन को काश्त कर रहा था। वादी का कभी भी उक्त ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं था। 2020 में वादग्रस्त भूमि का न्यायालय द्वारा बटवारा किया गया। प्रतिवादी उस दौरान भी आराजी पर खातेदारी का दावा कर सकता था। न्यायालय के निर्णय बाद ही उक्त आराजी में वादी के हिस्सा अलग से दर्ज कर नए खसरा बनाए गए। प्रतिवादी दूसरे की स्वामित्व की भूमी पर कब्ज़ा कर खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता। अतः तनकी 1 & 2 वादी के पक्ष में जाती है। तनकी 3 — प्रतिवादी कब्ज़े के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मांग सकता। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादी के वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार साबित हो सके। यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध जाती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को ग्राम बक्सपुरा पटवार हलका घाटोली तहसील रामगंजमंडी खसरा नं. 242/88 की 1.180 हे० व ग्राम हथोना पटवार हलका हथोना तहसील रामगंजमंडी खसरा 700/98 की 1.180 हे० को बेदखल करने का आदेश देता हूँ। क्योंकि खसरा 87, 97 सामलाती खाते दर्ज है, वादी एवं प्रतिवादी दोनो को ही इसका उपयोग करने का अधिकार है।
	निर्णय आज दिनांक 8/4/2026 को सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ★ रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) ★

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी